

25 April
UG IV 15
श्रम संघ
(TRADE UNIONS)

औद्योगिक शांति बनाये रखने में श्रमसंघों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न विद्वानों ने श्रम-संघ को अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है जो इस प्रकार हैं :-

① वी. वी. गिरि—“श्रमिकों संघों से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठन से है, जिसका निर्माण ऐच्छिक रूप में सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है।”¹

इस परिभाषा से श्रमिक संघों की जो विशेषतायें स्पष्ट होती हैं, वे इस प्रकार हैं—

- (अ) श्रमिक संघ का अर्थ एक प्रकार के संगठन से है,
- (आ) इस संगठन की सदस्यता ऐच्छिक होती है,
- (इ) इस संघ में श्रमिकों की सामूहिक शक्ति निहित होती है, और
- (ई) इस संघ का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना होता है।

② ए. सी. जोन्स—“एक श्रमिक संघ अनिवार्य रूप से श्रमिकों का ही संगठन है, मालिकों, सहभागियों अथवा निजी श्रमिकों का नहीं।”²

जोन्स ने श्रम संघ की जो परिभाषा दी है, वह अत्यन्त सरल है। इस परिभाषा से श्रम संघ की अग्रलिखित विशेषतायें स्पष्ट होती हैं—

- (अ) श्रम संघ का तात्पर्य एक प्रकार के संगठन से है,
- (आ) यह संगठन अनिवार्य रूप से श्रमिकों का होता है, और
- (इ) इस संगठन का सम्बन्ध मिल मालिकों, इसके भागीदारों और निजी श्रमिकों से नहीं होता है।

③ आर. ए. लेस्टर—“यह मौलिक रूप से श्रमिकों का एक संघ है, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की रोजगार दशाओं को समुन्नत करने एवं संरक्षण के उद्देश्य से बनाया जाता है।”

इन्होंने अपनी परिभाषा को और आगे बढ़ाते हुये लिखा है, “यद्यपि श्रमिक संगठन

1. V.V. Giri.: 'Labour Problem In Indian Industry.', Asia Publishing House, 1957. P. 1.
2. Jones. A.G. 'Trade Unionism Today,' p. 3.

सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों को भी कर सकते हैं, किन्तु जब यह मुख्य रूप से श्रमिक सदस्यों के आर्थिक हितों की संरक्षा का ही काम करते हैं, तब हम इन्हें श्रमिक संघ कहते हैं।³

जोन्स ने श्रम संघ की जो परिभाषा दी है, उसमें निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया गया है—

- (अ) श्रम संघ प्रमुख रूप से श्रमिकों का ही संगठन है,
- (आ) इसके दो मौलिक उद्देश्य होते हैं—
 - (i) श्रमिकों की दशाओं को समुन्नत करना, और
 - (ii) श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना।
- (इ) ये संघ धार्मिक और सामाजिक कार्यों का सम्पादन भी कर सकते हैं,
- (ई) किन्तु इन्हें श्रमिक संघ तभी कहा जा सकता है, जब ये श्रमिकों के आर्थिक हितों का संरक्षण करते हों।

(4) केनिसन—“श्रमिकों का एक संघात्मक संगठन है जो व्यक्तिगत उत्पादक के रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो मालिकों के साथ अपने श्रम को बेचने और इसको उत्पादक कार्य में लगाने के रूप में सम्बन्धित होते हैं और इस सम्बन्ध का सामान्य उद्देश्य मालिकों के साथ अपनी सौदा करने की शक्ति को दृढ़ करना होता है।”⁴

केनिसन ने श्रम संघ की जो परिभाषा की है, उसमें निम्न विशेषताओं का उल्लेख है—

- (अ) श्रमिकों का एक संगठन होता है,
- (आ) ये श्रमिक व्यक्तिगत उत्पादक के रूप में एक दूसरे के पूरक होते हैं,
- (इ) इसके आधार पर ये मालिकों के साथ अपनी शक्ति का सौदा करते हैं,
- (ई) इसी संगठन को श्रम कहा जाता है।

(5) सिडनी और वेब—“एक श्रमिक संघ मजदूरी करने वालों का संगठन है जिसमें श्रमिक अपने काम करने की दशाओं को समुन्नत करने के लिये निरन्तर मिलते-जुलते रहते हैं।”⁵

जब हम सिडनी और वेब की परिभाषा की व्याख्या करते हैं, तो इसमें निम्न विशेषताओं का होना परिलक्षित होता है—

- (अ) श्रम संघ एक प्रकार का संगठन है,
- (आ) यह संगठन उन व्यक्तियों का है जो मजदूरी करते हैं,
- (इ) इस संगठन का उद्देश्य श्रमिक अपने कार्य की दशाओं को उन्नतिशील करने के लिए करते हैं।

संक्षेप में, “श्रम संघ मजदूरों का ऐच्छिक संगठन है जो मजदूरों की दशाओं को समुन्नत करने और अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है।”

3. Lester R.S. 'Economics of Labour' p. 539.

4. Cunnisson, 'Labour Organization.' p. 13.

5. Sidney and Beatrice Web, 'A History of Trade Unionism', p. 1

भारत में श्रम संघ का प्रयोग उन सभी श्रमिकों से है जिन पर व्यवस्थित कारखानों में फैक्ट्री अधिनियम लागू होता है। 1991 तक भारत में इस प्रकार व्यवस्थित कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 85 लाख थी। इनकी कार्यक्षमता को सन्तुष्ट रख औद्योगिक प्रगति का आधार बनाना ही श्रम संघ का उद्देश्य है।

श्रम संघों की विशेषतायें :- महत्व Importance (Characteristics of Trade Unions) :-

उपर्युक्त परिभाषाओं को दृष्टि में रखते हुये श्रम संघों की निम्न सामान्य विशेषतायें निर्धारित की जा सकती हैं-

- (1) श्रम संघ की पहली विशेषता यह है कि यह मजदूरों का संगठन है।
- (2) श्रम संघ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध फैक्ट्री प्रणाली से है। उद्योगों में जब से फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ, श्रम संघों का भी निर्माण प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार श्रम संघों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध फैक्ट्री प्रणाली से है।
- (3) प्रत्येक श्रमिक एक दूसरे से उत्पादक इकाई के रूप में सम्बन्धित होते हैं, तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं,
- (4) इस संघ में श्रमिकों की सामूहिक शक्ति निहित होती है,
- (5) इस संघ की सदस्यता ऐच्छिक होती है। सामान्य अवस्था में प्रत्येक श्रमिक को इस संघ की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ती है, किन्तु यदि कोई श्रमिक इस संघ की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है, तो उसे ऐसा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
- (6) श्रम संघों के माध्यम से श्रमिक मिल मालिकों के साथ अपनी शक्ति की सौदेबाजी करते हैं,
- (7) श्रम संघों के उद्देश्यों को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

(i) श्रमिकों के कार्य की दशाओं को समुन्नत करना तथा उन्हें अपने परिश्रम का उचित पारितोषिक दिलवाना, और

(ii) श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करना। यह संरक्षण बुढ़ापा, बीमारी और नौकरी से निकाले जाने से सम्बन्धित है।

(8) श्रम संघों का मौलिक कार्य आर्थिक है। इसके साथ ही श्रम संघ धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों को भी सम्पादित कर सकते हैं।

श्रम संघों के उद्देश्य

(Objects of Trade Unions)

मौलिक प्रश्न यह है कि श्रम संघों का निर्माण क्यों किया जाता है? मजदूरों के जीवन में इस प्रकार के संघों की क्या आवश्यकता है? श्रम संघ किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए